

**OFFICE OF THE DEPUTY CONSERVATOR, FOREST, DHOLPUR**

No.3787

Date 19/6/19

To

The Chief Conservator of Forests

Bharatpur

Subject- Diversion of Forest land 1.08 ha for Construction of bt road from Contraction of BT Road from Sirmathura Jhiri Road km 9 to Mallpura Village under RRSMP scheme funded by the World Bank

- Ref- 1.F-14(road)2018/FCA/PCCF/CCFEDS/-I Jaipur dated 17.05.2019  
2. EDS Compliance User agency Letter No. 211 dated 22.05.2019  
3. EDS CCF, Bharatpur 03.06.2019  
4. CCF Letter No. 2968 dated 18.06.19


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेद है कि प्रांसागिक पत्र द्वारा लगाए गये आक्षेप की पूर्ति निम्नानुसार कर दी गई है।

क्र. सं.	आक्षेप	अनुपालना
1	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या ए-।।। में अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम रामजी सोनकर जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में आवेदक राकेश वर्मा अंकित है अपेक्षित संशोधन प्रस्तावित है।	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या ए-।।। में अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम ऑनलाईन प्रस्ताव में संशोधित कर दिया गया है। औथोराईजेशन लेटर संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या सी-वी में संलग्न के एमएल फाईल में चौड़ाई में एक रूपता नहीं है संलग्न पॉलीगान का क्षेत्रफल 1.0769 है० (प्रस्तावित 1.08 है० से कम) है। एरिया केलकुलेशन में प्रस्तावित लम्बाई की चौड़ाई एक है। अतः तदनुसार केएमएल फाईल संशोधित किया जाकर संशोधित GT Sheet & DGPS map संलग्न किया जाने प्रस्तावित है। केएमएल फाईल DGPS map में कोई समानता नहीं है केएमएल फाईल वन सीमा भी अंकित नहीं की गई है। प्रस्तावित वन भूमि के चेनएज अंकित नहीं किये गये है।	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या सी-वी में संलग्न केएमएल फाईल एरिया केलकुलेशन में प्रस्तावित लम्बाई की चौड़ाई के अनुसार संशोधित कर संलग्न है।
3	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या डी में विकल्प एवं उनका विवरण संलग्न किये गये है। किन्तु उसमें प्रभावित वन क्षेत्र एवं उनकी सी.डी. संलग्न नहीं की	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या डी में विकल्प एवं उनका विवरण संलग्न किये गये है। किन्तु उनकी सी.डी. संलग्न कर दिया

	गई है।	गया है।
4	वनधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है। वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	वनधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। हार्ड कॉपी में मूल वनधिकार प्रमाण पत्र पहले से संलग्न है। ग्राम सभा कार्यवाही विवरण संलग्न है।
5	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या एल में गैर वन भूमि विवरण में केएमएल फाईल के पॉलीगान में क्षेत्र 1.0957 है0 आता है जो प्रस्तावित वन क्षेत्र से ज्यादा है। संशोधित केएमएल फाईल GT Sheet & DGPS map संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।	संशोधित केएमएल फाईल GT Sheet & DGPS map संलग्न किये गये है।
6	यूजर ऐजेन्सी द्वारा ऑनलाईन दो एरिया केलकुलेशन शीट (1.08 है0 एवं 0.72 है0) संलग्न है। प्रस्तावित वन क्षेत्र के अनुसार संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा ऑनलाईन ग्रामवार एरिया केलकुलेशन शीट एवं संलग्न एरिया में संशोधन कर दिया गया है।
7	यूजर ऐजेन्सी द्वारा ऑनलाईन दो बार चार्ट (1.08 है0 एवं 0.72 है0) संलग्न है। प्रस्तावित वन क्षेत्र के अनुसार संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्ताव में हार्ड प्रति के अनुसार ऑनलाईन प्रस्ताव में संशोधन कर दिया है।
8	प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में संलग्न वचनबद्धताएँ ऑनलाईन प्रस्तावित से भिन्न है दोनों एकरूपता रखा जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वचनबद्धताओं में प्रस्ताव संख्या प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण दिनांक संलग्न नहीं है।	वचनबद्धताओं में आवश्यक सुधार कर संलग्न कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव में प्राप्त गैर वन भूमि का जी0टी0 सीट पर अंकन किया हुआ है। जिसमें उक्त क्षेत्र वन सीमा के अन्तर्गत आता है जबकि उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त क्षेत्र वन खण्ड की सीमा में नहीं है। अतः वन सीमा को संशोधित करते हुए जी.टी0 सीट पर अंकन किया जावे।	प्रमाण पत्र एवं जीटी शीट संलग्न है।

भवदीय

  
(करण सिंह)  
उपवन संरक्षक  
उप वन संरक्षक  
धौलपुर